

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारे. कं.मर्या. कोरबा को गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में विद्युत ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन की राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 25 -08-2023

Place : Raipur

Name

-

(Manoj Kumar Pingua)

Designation

-

Principal Secretary
Government of Chhattisgarh
Dept. of Forest & Climate Change
Raipur

Forest & Climate Change Department

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5-25/2023/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/08/2023

प्रति,

वनमहानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
छत्तीसगढ़ - 492015।

विषय: — Diversion of Forest land for non-forest purpose under forest conservation act, 1980 proposed for modification of 220 KV Transmission Line, new BG Electrified East West Rail Corridor from Gevra road-Pendra road Railway line between location no. 278-281 2.128 ha.

संदर्भ:— अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विद्युत/479-182/1749, दिनांक 25.07.2023।

—000—

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980, छत्तीसगढ़ रायपुर से संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :-

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र — कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण) संभाग, छ.ग.रा.वि.पारे.कं.मर्या. कोरबा द्वारा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु मांग किया गया है।	1-14
2	प्रपत्र- I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) — आवेदक विभाग के मांग अनुसार प्रकरण का ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक — FP/CG/TRANS/43092/2019 दिनांक 26.08.2020 को आबंटित किया गया है। प्रपत्र-1 में रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्ज किया गया है।	15-20
3	वनक्षेत्र का विवरण — गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रस्तावित है।	21
4	गैर वनक्षेत्र का विवरण — वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु गैर वन क्षेत्र प्रस्तावित नहीं है।	22-23

Rajiv

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
5	प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया की मूल टोपोशीट क्रमांक F 44K1, 1:50,000 स्केल मानचित्र पर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि को चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।	24 एवं डीजीपीएस रिपोर्ट
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र का इन्डेक्स मैप एवं 10 कि.मी परिधि का वेजिटेशन मूल टोपोशीट क्रमांक 64/J/01 एवं क्रमांक 64/J/02, 1:50000 स्केल में चिन्हित कर संलग्न किया गया है। मानचित्र वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल द्वारा हस्ताक्षरित है।	25
7	प्रपत्र –4 में प्रस्ताव – गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग हेतु वनमंडलाधिकारी मरवाही वन मंडल द्वारा जारी प्रपत्र-4 प्रस्ताव में संलग्न है। प्रस्ताव अनुसार परियोजना की कुल लागत 3.85 करोड़ रुपये है। वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.4 है।	26 – 32
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक ग्राम केसला में रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि की मांग की गई है। इस नये निर्माणाधीन ईस्ट-वेस्ट रेल कॉरीडोर परियोजना (गेवरारोड से पेण्ड्रारोड) में उक्त ट्रांसमिशन लाईन प्रभावित कर रहा है, जिससे क्षेत्र के विकास में (माल एवं यात्री सेवाओं) बाधा उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुये उक्त ट्रांसमिशन लाईन को अन्य स्थल पर व्यपवर्तित किया जावेगा जिससे आम जनता को बेहतर रेल सुविधा एवं विद्युत मिल सकेगा।	33 – 34
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि जमा करने का आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।	35
10	न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वनमंडल अंतर्गत 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन लोकेशन 278 से 281 तक व्यपवर्तन कार्य के लिये रकबा 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि की मांग आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	36
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र – प्रस्तावित कार्य हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	37 – 46

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र-अ एवं ब में) – 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन हेतु रकबा 2.128 हे. प्रस्तावित वन भूमि में कुल 168 वृक्ष विद्यमान है। निर्धारित प्रपत्र-अ एवं ब में विवरण दर्शाया गया है। प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि में विद्यमान 168 वृक्षों की गणना सूची एवं कंडक्टर के दोनो ओर 3-3 मीटर में विद्यमान 73 वृक्षों की गणना सूची संलग्न किया गया है।	47 – 52 एच
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – प्रकरण में प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल 20 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं है।	53
14	चयनित गैर वनक्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – प्रस्तावित 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन हेतु रकबा 2.128 हे. में संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग के प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि का चयन किया गया है।	54
15	गैर वनक्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – प्रकरण में दुगुने क्षेत्रफल के प्रतिपूरक वन रोपण प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास दर्शित वन प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा प्रदायित 10 कि.मी की परिधि का मानचित्र प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक 6 में संलग्न है।	55
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि रकबा 2.128 हे.के विरुद्ध मरवाही वन मंडल अंतर्गत परिक्षेत्र पेण्ड्रा के कक्ष क्रमांक 2357 स्थल केसला में दुगुने वन भूमि रकबा 4.300 हे. में दस वर्षीय वृक्षारोपण योजना रख-रखाव सहित तैयार कर प्रस्ताव में संलग्न किया गया है।	56 – 82
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – 220 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. छुरी-कोटमीकला लाईन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि रकबा 2.128 हे. के विरुद्ध परिक्षेत्र पेण्ड्रा के कक्ष क्रमांक 2357 स्थल केसला में 4.300 हे. प्रस्तावित किया गया है। इस आशय का वन मंडलाधिकारी, मरवाही का प्रमाण पत्र संलग्न है।	83 – 84
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण – प्रस्तावित प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	85
19	अधिनियम उल्लंघन के लिये जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण विवरण निरंक है।	86
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने के कारण किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अधिनियम उल्लंघन की प्रस्तावित कार्यवाही निरंक है।	87

reginal

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रसारीत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के हैण्डबुक पैरा 2.5 अनुसार ट्रांसमिशन लाईन के प्रकरणों में दुगुने वन भूमि में वैकल्पिक वृक्षारोपण को मान्य किये जाने के निर्देश है। तदनुसार प्रकरण में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगुने बिगड़े वन भूमि रकबा 4.300 हे. में प्रस्तावित किया गया है। इस कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	88 – 89
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित होने के कारण कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है।	90
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्तावित प्रकरण में रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	91
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित होने के कारण आई.बी.एम. नागपुर से माईनिंग प्लान अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।	92
25	व्यवस्थापन प्लान – प्रस्तावित प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन में प्रभावित संरक्षित वन भूमि में किसी भी प्रकार का व्यवस्थापन नहीं किया गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	93
26	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – प्रस्तावित 2.128 हे. संरक्षित वन भूमि के लिए वनमण्डलाधिकारी मरवाही का प्रतिवेदन (प्रपत्र III एवं भाग 2) एवं मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का प्रतिवेदन (भाग-3) संलग्न है। निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आवेदित संरक्षित वन भूमि का घनत्व 0.1 से 0.4 है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में 168 वृक्ष विद्यमान है। वनमंडलाधिकारी मरवाही वन मंडल के भौतिक निरीक्षण दिनांक 07.02.2023 अनुसार आवेदित वन क्षेत्र को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर ने वन मंडलाधिकारी मरवाही के सुझाव पर सहमति व्यक्त करते दिनांक 09.05.2023 से व्यपवर्तन प्रस्ताव की अनुशंसा की है।	94 – 108
27	ऐतिहासिक स्थल प्रमाण पत्र – प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन हेतु आवेदित संरक्षित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के ईमारत/स्मारक या भवन नहीं होने का वन मंडलाधिकारी, मरवाही का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है।	109 – 114
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.02.2013 अनुसार प्रस्तावित परियोजना रैखिक होने के कारण ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। निर्देश पत्र की प्रति पृष्ठ 110 पर संलग्न है। अपितु ग्राम पंचायत गोढ़ा का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी पृष्ठ क्रमांक 131 में संलग्न है।	115
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे.में) – प्रस्ताव अनुसार गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में कुल वन भूमि रकबा 85187.039 हे. है।	116

Signature

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
30	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे.मे. - वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के मरवाही वन मंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का रकबा 865.417 हे. है।	117
31	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे.मे. - मरवाही वनमंडल के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इसी श्रेणी के प्रभावित व्यपवर्तित वन भूमि का रकबा 236.886 हे. है।	118
32	प्रस्तावित क्षेत्र को 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी - प्रस्तावित प्रकरण विद्युत लाईन विस्तार के अंतर्गत 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित/प्रस्तावित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, मरवाही एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न है। साथ ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	119 - 120
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन - प्रस्तावित परियोजना खनन प्रकरण नहीं होने से आवश्यक नहीं है।	121
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र - प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के प्रस्ताव में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी कलेक्टर गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2022 को जारी एनेक्चर-I की प्रति, जिला स्तरीय वन अधिकार समिति गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के बैठक का कार्यवाही विवरण, अनुविभाग स्तरीय वन खण्ड अधिकार समिति एवं ग्राम पंचायत गोढ़ा का अनापत्ति एवं कार्यवाही बैठक की नकल की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है।	122 - 132
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र - विद्युत पारेषण लाईन के प्रस्ताव में राजस्व वनभूमि प्रस्तावित नहीं है जिसका कलेक्टर, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 07.07.2022 की प्रति संलग्न है।	133 - 134
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र - शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की दर जो भी वन विभाग तय करेगा वह राशि छ.ग. राज्य विद्युत पारेषण कंपनी कोरबा जमा करने हेतु वचनबद्ध है। तदाशय का आवेदक संस्थान का वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है। वन मंडलाधिकारी द्वारा शुद्ध प्रत्याशा मूल्य की जमा राशि का गणना पत्रक प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 161 में संलग्न किया गया है।	135
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance - वन भूमि के व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात जो भी राशि शर्त अनुसार निर्धारित है उसे आवेदक संस्थान से CAMPA निधि में तत्काल जमा कराया जावेगा।	136

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या/टीप
38	“A detailed note on Soil Productivity or the lack of it” – आवेदित संरक्षित वन भूमि में मृदा में उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा वर्गीकरण के पांचवी श्रेणी में आता है।	137
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – आवेदित वन भूमि में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है एवं वन विभाग के नियमानुसार स्वीकृति मिलने के पूर्व कोई भी निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जावेगा। इस आशय का आवेदक संस्थान का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	138
40	Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 – प्रस्तावित प्रकरण 500 हेक्टेयर से कम होने के कारण वोक्शनल ट्रेनिंग संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	139
41	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण – आवेदक से पंजीयन शुल्क मूल्य 6000/- एवं प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) शुल्क मूल्य 18,000/- कुल मूल्य 24000/- की राशि वनमण्डलाधिकारी मरवाही वन मंडल के पी. डी. खाता में जमा किया गया है।	140 – 143
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – प्रस्ताव अनुसार आवश्यक नहीं है।	144
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – बिन्दु अनुसार तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण एवं मानचित्र संलग्न है।	145 – 145ए
44	प्रस्ताव में अन्य कमियों का विवरण – प्रस्ताव में अन्य जानकारी स्वरूप वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का वचन पत्र एवं डीजीपीएस सर्वे रिपोर्ट मय सी.डी संलग्न है।	146 – 179

प्रकरण भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरूप सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर Diversion प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र-4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र-5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर उचित कार्यवाही करने का अनुरोध है।

संलग्न: – प्रस्ताव 1 प्रति में।


 (के.पी.राजपूत)
 अवर सचिव,
 छत्तीसगढ़ शासन,
 वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-25/2023/10-2
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/08/2023

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, वन संरक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ़।
 - 2.मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
 - 3.वनमंडलाधिकारी, मरवाही वनमंडल, छत्तीसगढ़।
 - 4.कार्यपालन अभियंता, अति उच्च दाब (संधारण), संभाग छत्तीसगढ़ स्टेट पावर एण्ड ट्रांसमिशन कंपनी लिमि. कोरबा, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

K. R. Jha
29.8.23

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ole